भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1902

16 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा अनुसंधान और महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में लैंगिक पक्षपात

1902. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों में लगातार व्याप्त लैंगिक पक्षपात की जानकारी है, जिसके कारण महिलाओं को, विशेषकर हृदय रोग, स्वप्रतिरक्षी विकारों, पुराने दर्द आदि में नुकसान होता है;

(ख) क्या देश में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित चिकित्सा अनुसंधान की धनराशि का कोई हिस्सा विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए समर्पित है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि नैदानिक परीक्षणों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व हो, लिंग के अनुरूप लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और उसी प्रकार से डेटा को विश्लेषित किया जाए; और

(घ) क्या चिकित्सा अनुसंधान और उपचार के दिशा-निर्देशों में लैंगिक पक्षपात को सक्रिय रूप से हल करने के लिए कोई नियामक या निगरानी प्रणाली बनाने या उसे सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया है कि जैव चिकित्सा अनुसंधान में लिंग और जेंडर से जुड़े पहलुओं को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक साहित्य में नोट किया गया है, जिसमें महिलाओं में रोग प्रकटीकरण और उपचार परिणामों में भिन्नता शामिल है। आईसीएमआर जैव चिकित्सा एथिक्स दिशानिर्देश (2017) एक नैतिक ढांचे के भीतर काम करता है कि जैव चिकित्सा अनुसंधान को नैतिक रूप से किया जाना चाहिए, प्रतिभागियों के अधिकारों का सम्मान करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहिए, जो सिद्धांत रूप में सुझाव देता है कि बहिष्करण या अनुचित पक्षपात (लिंग या जेंडर जैसे आधार सहित) से बचा जाना चाहिए, खासकर जहां यह न्याय या न्यायसंगत प्रतिभागी संरक्षण को कमजोर करता है। आईसीएमआर के माध्यम से समर्थित अनुसंधान हृदय रोग, स्वप्रतिरक्षी विकारों, पुराने दर्द आदि जैसे जैव चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैला हुआ है और वित्त पोषण संबंधी निर्णय वैज्ञानिक योग्यता, साक्ष्य-आधारित प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर लिए जाते हैं। पिछले 5 सालों में

आईसीएमआर के अनुदान में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो 2021-22 में 2358 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 3125.50 करोड़ रुपये हो गया है। आईसीएमआर द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाओं को एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। आईसीएमआर का मुंबई में राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIRRCH) भी है जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ अनुसंधान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बाल स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का काम करता है। NIRRCH ने पिछले 5 वर्षों में कुल 304.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसका ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) अपनी योजना स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास के अंतर्गत महिला वैज्ञानिकों के लिए कार्यक्रम संचालित करता है। यह कार्यक्रम उन महिला शोधकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है, जिन्होंने मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों आदि के कारण करियर से ब्रेक लिया है। ऐसी महिला वैज्ञानिकों को जैव चिकित्सा अनुसंधान में में वापस आने और अपना करियर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2021-22 से अब तक 50.43 करोड़ रुपये की फेलोशिप दी गई है और देश में 215 महिला वैज्ञानिकों को सहायता दी गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने बताया है कि "महिला एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान" के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और चिकित्सा हस्तक्षेप निदेशालय के अंतर्गत उसका एक समर्पित कार्यक्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में, बड़े, मल्टी-सेंट्रिक क्लिनिकल कोहोर्ट सहित कई केंद्रित कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया गया है। पिछले 5 वर्षों में महिला स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं पर डीबीटी द्वारा कुल 50.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसका ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) और (घ): आईसीएमआर के जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा-निर्देशों में यह अपेक्षा की गई है कि नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रतिभागियों का चयन निष्पक्ष, वैज्ञानिक रूप से न्यायोचित और महिलाओं सहित किसी भी समूह के अवांछित बहिष्कार किए बिना होना चाहिए। आचार समितियों को उचित भर्ती रणनीतियों, पर्याप्त सुरक्षा उपायों और प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के लिए अनिवार्य किया गया है। जहां लिंग या जेंडर अंतर रोग के पैटर्न या परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ जांचकर्ताओं को अध्ययन डिजाइन में इन कारकों पर विचार करने और प्रासंगिक होने पर लिंग के आधार पर अलग-अलग विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत स्थापित जैवचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिकता समिति रजिस्ट्री (एनईसीआरबीएचआर), 'नई दवाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019' के अनुसार, सितंबर 2019 से संचालित है। मानव प्रतिभागियों को शामिल करते हुए जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान की समीक्षा में लगी आचार समितियों को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। अपनी स्थापना के बाद से, एनईसीआरबीएचआर ने कुल 1,793 नैतिकता समितियों को पंजीकृत किया है।

चिकित्सा अनुसंधान और महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में लैंगिक पक्षपात के बारे में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1902, दिनांक 16.12.2025 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक I

आईसीएमआर-राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIRRCH) मुंबई का पिछले 5 वर्षों का व्यय	
	राशि करोड़ में
वर्ष	वास्तविक व्यय
2020-21	54.82
2021-22	58.48
2022-23	61.00
2023-24	55.72
2024-25	74.33

अनुलग्नक II

पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का व्यय	
	राशि करोड़ में
वर्ष	वास्तविक व्यय
2020-21	6.67
2021-22	36.59
2022-23	0.93
2023-24	2.97
2024-25	3.34
